



**Pension Fund Regulatory and Development  
Authority**

First Floor, ICADR Building, Plot No 6, Institutional Area Phase II, Vasant  
Kunj, New Delhi-110070 Tel. 011-26897948

**PUBLIC NOTICE**

It has come to notice of the Authority recently that some organizations, NGOs, societies, individuals, etc. are resorting to offer employment to students/ members of general public under and/or in the name of National Pension System. It has also been reported that some of these entities are also collecting funds from the students in the name of security money for offer of jobs or using the National Emblem and PFRDA logo on their website and other documents. It is hereby informed that PFRDA has not authorized any entity to engage in any such activity, which is illegal and fraudulent. Any entity/ or person found to be engaged in such fraudulent activities, is liable to be prosecuted in law.

The Authority is the regulatory body for National Pension System and other pension schemes under the provisions of the PFRDA Act, 2013, and detailed information pertaining to its functions are available on its website being [www.pfrda.org.in](http://www.pfrda.org.in).

Members of general public are hereby advised not to pay heed to or act on such false and misleading propaganda issued by such organizations/ individuals. Authority shall not be liable for any loss suffered by any person on account of any dealings with such unauthorized entities/individuals which shall be at his/ her own risk. Members of the general public are also requested to report such unauthorized activities to local authorities/ police department with a copy addressed to [grc@pfrda.org.in](mailto:grc@pfrda.org.in).

This public notice is issued in interest of members of the general public.

Date: 20.08.2015

Ashish Kumar  
General Manager



## पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, आईसीएडीआर बिल्डिंग, प्लॉट नं. 6, संस्थागत क्षेत्र फेज II

वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

फोन - 011-26897948

### सार्वजनिक सूचना

हाल ही में प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि कुछ संगठन, गैर-सरकारी संगठन, संस्थाएं, व्यक्ति इत्यादि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के नाम पर अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आम लोगों तथा विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने जैसे प्रलोभन दे रहे हैं। ऐसा भी सूचित किया गया है कि इनमें से कुछ संस्थाएं रोजगार दिलाने के नाम पर विद्यार्थियों से सुरक्षा राशि के रूप में धन एकत्रित कर रहीं हैं और अपनी वेबसाइट एवं अन्य दस्तावेजों पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और पीएफआरडीए के प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल भी कर रही हैं। अतः यह सूचित किया जाता है कि पीएफआरडीए ने किसी भी संस्था को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने के लिए अधिकृत नहीं किया है, जो कि गैर-कानूनी और धोखाधड़ी वाली है। ऐसा कोई भी संगठन/ व्यक्ति जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत अन्य पेंशन योजनाओं के लिए विनियामक संस्था के रूप में कार्य करता है और इसके कार्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट [www.pfrda.org.in](http://www.pfrda.org.in) पर उपलब्ध है।

जन साधारण को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे संगठनों / व्यक्तियों द्वारा जारी ऐसे किसी भी भ्रामक एवं असत्य दुष्प्रचार पर ध्यान न दें और इसके प्रभाव में न आयें। प्राधिकरण, किसी भी व्यक्ति को ऐसी किसी भी अनधिकृत संस्थाओं / व्यक्तियों के साथ किये गये संव्यवहार के कारण होने वाली क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और व्यक्ति विशेष उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। जन साधारण से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे इस प्रकार की अनधिकृत गतिविधियों की जानकारी स्थानीय प्रशासन/पुलिस विभाग को दे और उसकी एक प्रति पीएफआरडीए को [grc@pfrda.org.in](mailto:grc@pfrda.org.in) पर दें।

यह सार्वजनिक सूचना जन साधारण के हित में जारी की जाती है।

दिनांक : 20.08.2015

आशीष कुमार

महाप्रबंधक